न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ (चूरू)

...न अधिकारी–ओमप्रकाश वर्मा,आर.ए.एस.
...र्थना–पत्र संख्या–14 / 2022
...श दिनांक : 27/02/2025
...सी.एम.एस. : 80 / 2022

भंवरीदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट निवारी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान

बनाम ....प्रार्थी

1. मठ श्री शिवजी खुड़ी जरिये पुजारी नेमा भारती पुत्र चेला तारा भारती निवारी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
2. कर्मादेवी पुत्री हरजीराम जाति नाई निवारीनी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
3. कान्ता पुत्री हरजीराम जाति नाई निवारीनी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
4. छगनी पत्नी हरजीराम जाति नाई निवारीनी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
5. दुलाराम पुत्र गोरधन जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
6. देवाराम पुत्र गोरधन जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
7. दीपककुमार पुत्र हरजीराम जाति नाई निवारी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
8. धर्मपाल पुत्र हरजीराम जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
9. नरमादेवी पुत्री हरजीराम जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
10. पानादेवी पत्नी भंवरलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
11. बनवारीलाल पुत्र रामनिवास जाति ब्राहमण निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
12. राजकुमार पुत्र हरजीराम जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
13. सन्तोष पुत्री हरजीराम जाति नाई निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
14. हीरामणी पुत्री हरजीराम जाति नाई निवारी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
15. रूकमणी पत्नी नोरंगलाल जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
16. भंवरसिंह पुत्र भूरसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
17. भागीरथसिंह पुत्र भूरसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
18. लिछमणसिंह पुत्र भूरसिंह जाति पुरोहित निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
19. एस.बी.बी.जे. शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
20. ओरियन्टल बैंक शाखा सालासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
21. पी.एन.बी. बैंक शाखा जुलियासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सुजानगढ़ जिला चूरू

........अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः–

1. श्री कैलाश गुलेरिया एडवोकेट प्रार्थीनी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ता 21 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
3. अप्राथी संख्या 22 राजपैराकार उपस्थित।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला चूरू

–: आदेश :–

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी का खेत खसरा संख्या 1004 / 452 तादादी 2.1496 हैक्टेयर वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है।

प्रार्थीनी ने अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 1004 / 452 की निशानदेही के लिए दिनांक 01.12.2021 को तहसीलदार सुजानगढ़ के समक्ष आवेदन किया जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट ली जाकर अपने आदेश क्रमांक:भू0अ0नि0 / 2021 / 3318 दिनांक 08.12.2021 को पटवारी हल्का को सीमाज्ञान करवाने का आदेश पारित किया जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 24.12.2021 को मौके पर पहुँचकर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की।

प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1004 / 452 तादादी 2.1496 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम खुड़ी के चिपता ही उतरी ओर अप्रार्थी संख्या 01 का खेत खसरा संख्या 454 व 457 है एवं पूर्वी ओर अप्रार्थीगण संख्या 16

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ

...खेत खसरा संख्या 453 एवं अप्रार्थी संख्या 15 का खेत खसरा संख्या 1003/452 एवं परिवादी ...संख्या 01 ता 14 का खेत खसरा संख्या 451 की सीवो में खड़े हरे वृक्षों को काट काट कर ...ट्रेक्टर से कराया लगाकर समतल कर आगे बढ़कर कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थीनी गरीब व ...एवं औरतजात होने का लाभ उठाकर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 18 द्वारा प्रार्थीनी को तंग परेशान ...रहे है। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 18 को मनाह करने पर उल्टा प्रार्थीनी को डराते ...धमकाते है कि हम तुम्हारे खे पर नाजायज रूप से कब्जा करेंगे जिनको उन्हें कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीनी अपने खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खसरा संख्या 1004/452 तादादी 2.1496 हैक्टेयर वाके रोही खुडी का सीमाज्ञान करवाकर पुख्ता पत्थरगढ़ी के निशान कायम करवाना चाहती है इसलिए प्रार्थीनी को कानूनी अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खेत खसरा संख्या 1004/452 तादादी 2.1496 हैक्टेयर वाके रोही खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की पैमाइश हल्का पटवारी से करवाई जाकर प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1004/452 तादादी 2.1496 हैक्टेयर की सीमा जंहा कायम होती हैं वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 18 बावजूद विधिवत तामील उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 21 बैंक से कोई रिलीफ नहीं चाहने का अंकन किया गया जिससे अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 21 को पत्रावली से पक्षकार हटाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 22 पैरोकार राज ने प्रकरण में राजकीय पक्ष प्रभावित नहीं होने से कोई आपति नही होने का अंकन किया।

बहस प्रार्थीनी विद्वान अधिवक्ता सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थीनी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 1004/452 रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ की भूमिकी पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाये जाने का कथन किया।

पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस प्रार्थीनी पर मनन किया गया। सुसगंत विधि का अध्ययन किया गया। प्रार्थीनी संख्या 01 ने तहसील में दिनांक 01.12.2021 को सीमांकन करवाने हेतु आवेदन किया जिस पर पटवारी ने दिनांक 24.12.2021 को मौके पर जाकर सीमाज्ञान जरीब चलाकर करवा दिया। चूंकि पक्षकारान के मध्य सीमा को लेकर विवाद है तथा प्रार्थीगण अपनी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि का सीमाकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारीणी है, जिसका उसको कानूनन अधिकार प्राप्त है।ऐसी स्थिति में न्यायालय प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 1004/452 रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ की भूमि का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर नियमानुसार पैमाइश करवाई जाकर भूमि की सीमा जहां कायम होती है वहां पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पुख्ता सीमाज्ञान के निशानात कायम करवाया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित हो।

यह आदेश आज दिनांक 27/02/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)